

कार्यालय : प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, गाजियाबाद

दिनांक 05-06-2026

आदेश

(आदेश संख्या - 52/2026)

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की खण्डपीठ द्वारा **"Writ-C No-37/2026 Civil Court Bar Association And Another Vs. High Court Of Judicature At Allahabad And 3 Others", Along with Writ-C No-42218/2025 Bar Association, Civil Court, Gorakhpur and another Vs. High Court Of Judicature At Allahabad And 2 Others"**, में पारित आदेश दिनांकित 24-03-2026 के पैरा-31 में यह आदेश पारित किया गया है कि-

" In vlew of the foregoing discussion, we are not Inclined to exercise Jurisdiction under Article 226 of the Constitution of India. The challenge to Impugned orders Is not maintainable in the absence of any challenge to the validity of the statutory provision under which It Is passed, and further, applying the settled principle that a later enactment prevalls over an earlier enactment in case of Inconsistency, the transfer of maintenance proceedings from the Family Court constituted under the Family Courts Act, 1984 to the Gram Nyayalaya under Section 16 of the Gram Nayaalayas Act, 2008 Is held to be valid."

इस संबंध में आदरणीय जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद को यह पत्र प्रेषित किया गया था कि वह, पीठासीन अधिकारी, ग्राम न्यायालय, तहसील मोदीनगर को आदेशित करने का कष्ट करें कि वह, भरण-पोषण से संबंधित पुरानी पत्रावलियों का अन्तरण स्वीकार करें तथा तहसील मोदीनगर के

(2)

क्षेत्राधिकार में आने वाले पुलिस थाना (कोतवाली मोदीनगर, थाना निवाड़ी एवं थाना भोजपुर) से संबंधित भरण-पोषण के मामले में, नये वादों को ग्रहण करें। इस संबंध में आदरणीय जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद के पत्रांक संख्या 3335/ **XV** दिनांकित 04-06-2026 के द्वारा अवगत कराया गया है कि " इस संबंध में उल्लेखनीय है कि जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद द्वारा आदेश संख्या 539/2023 दिनांकित 18-09-2023 के माध्यम से, ग्राम न्यायालय, तहसील मोदीनगर के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले मामलों के संबंध में पूर्व में ही आदेश पारित किया जा चुका है जिसके अनुक्रम में, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद द्वारा भी दिनांक 18-09-2023 को विस्तृत आदेश पारित किया गया है। उपर्युक्त आदेशों की प्रति विषयांकित पत्र में उल्लिखित पत्रावलियों के संबंध में अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की खण्डपीठ द्वारा पारित उपरोक्त आदेश एवं आदरणीय जनपद न्यायाधीश के उपरोक्त पत्र के अनुक्रम में , मुन्सरिम/लिपिक को आदेशित किया जाता है कि वह, तहसील मोदीनगर के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले पुलिस थानों (कोतवाली मोदीनगर, थाना निवाड़ी एवं थाना भोजपुर) से संबंधित, भरण-पोषण के समस्त प्रकार के वादों/याचिकाओं को, दिनांक 08-06-2026 से ग्रहण /स्वीकार न करें तथा परिवार न्यायालय के अधिष्ठान में संस्थित न करें।

दिनांक 05-06-2026

(मृदुल कुमार मिश्रा)

प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,
गाजियाबाद